16.12.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की और से पेरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त पत्रावली में अप्रार्थी के पुत्र राजेन्द्र पुत्र श्रीमन् जाति गुर्जर की और से एडो० बृद्धिचन्द्र शर्मा ने वकालत नामा पेश किया हुआ है तथा अप्रार्थी के पुत्र की और से जबाब प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्षों का सुना गया।

प्रार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी श्रीमन् पुत्र रामफल सा०देह को ग्राम रेण्डायल गुर्जर में दिनांक 20.02.1984 को आराजी ख०नं० 775 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, 263 रकबा बीघा 19 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ था। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल आवंटित भूमि के नवीन खसरा नम्बर 800 रकबा 0.24है, ख०न० 814 रकबा 0.39है० बने है। नवीन ख०नं० 800 रकबा 0.24है, ख०न० 814 रकबा 0.39है० जमाबन्दी सम्वत् 2076–79 में श्रीमन पुत्र रामफल की गैर खातेदारी में दर्ज है। आवंटी श्रीमन् पुत्र रामफल द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में भूमि को काश्त नहीं की है। उक्त खसरा नम्बर पर अन्य व्यक्ति का कब्जा है, साथ ही प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी को किया गया आवंटन निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी पक्ष के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया है कि अप्रार्थी के पिता श्रीमन् की मृत्यु दिनांक 11.06.2013 को ग्राम रेण्डायल गुर्जर में हो चुकी है। प्रार्थी के पिता का आंवटन की दिनांक 20.02.1984 से निरन्तरता में आराजी साबिक खसरा नम्बर 775 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर तथा साविक खसरा नम्बर 263 रकबा 1 बीघा 16 विस्वा भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी ने उक्त भूमि पर अपना निर्माण हेतु आवास तथा बाडा भी बना रखा है। प्रार्थी के पिता श्रीमन् ने आंवटन की शर्तो का पूर्ण पालन किया है, साथ ही वकील अप्रार्थी पक्ष ने उक्त प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर सर्वप्रथम यह पाया गया कि उक्त वाद आराजीयात अप्रार्थी को दिनांक 20.02.1984 को आवंटन हुई थी। लेकिन प्रार्थी पक्ष द्वारा वर्ष 1984 से 1987 (सम्वत् 2041 से 2045) का ऐसा कोई रिकोर्ड/खसरा गिरदावरी प्रस्तुत नहीं की है। जिससे स्पष्ट हो सके कि आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् उक्त वाद आराजीयात काश्त की है अथवा नही तथा अप्रार्थी श्रीमान् की मृत्यु दिनांक 11.06.2013 को होना ज्ञात हुआ है। प्रार्थी पक्ष द्वारा मृतक व्यक्ति के खिलाफ उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिती में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र त्रुटिपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी को पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर नम्बर से कम होकर बा[illegible] दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)